20रु. कोर्ट COURT भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

(7)

न्यायलय माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2018 पी.बी.आर

निगरानी - 3376/2018/ग्वालियर/भू.रा.

श्री मनीष शर्मा, अभि. द्वारा आज दि. 1-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. राजकुमार गर्ग पुत्र श्री कृष्णदास गर्ग
व्यवसाय-व्यापार आयु 60 वर्ष
2. विजय कुमार गर्ग पुत्र श्री कृष्णदास गर्ग
व्यवसाय आयु 65 वर्ष
निवासी-कृष्णा भवन,नया बाजार लश्कर
ग्वालियर म.प्र. ....अपीलांट

बनाम

म.प्र. शासन

वर्तमान निगरानी अंतगर्त धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता1959 के तहत अधीनस्थ न्यायलय अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण कमाक36/17-18-अपील राजकुमार बनाम म.प्र. शासन आदि में पारित आदेश दिनांक23/4/2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही हैं।

मननीय न्यायलय,

अपीनलांट की ओर से वर्तमान अपील निम्नानुसार है।

निगरानी के तथ्य

1. यहकि, आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमी सर्वे कमांक 39 रकवा 3.501 कुल किता 1 कुल रकवा 3.501 स्थित ग्राम नौगाँव विकास खण्ड घाटीगाँव(बरई) ग्वालियर मे है।इसके खसरा व खतौनी तथा भू अधिकार पुस्तिका एनेक्जर ए-1 हैं।
2. यहकि, उपरोक्त भूमि सर्वे कमांक 39 रकवा 3.501 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.01.1999 द्वारा दामोदार शर्मा पुत्र सुन्दरलाल शर्मा जाति ब्रहामण निवासी-ग्वालियर से विधिवत रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कय किया है तथा कय दिनांक से मौके पर काबिज होकर तथाकथित भूमि का निर्विघन उपयोग व उपभोग कर रहा है।विकय पत्र **एनेक्जर ए-2** हैं।
3. यहकि, कय उपरांत आवेदकगण द्वारा तथाकथित भूमि सर्वे कमांक 39 रकवा 3.501 न्यायलय श्रीमान ग्वालियर के समक्ष एक आदेश दिनांक 18.4.2007 से विकेता के स्थान पर आवेदकगण का नाम व हैसियत राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज हुआ तद् दिनांक से आवेदकगण तथाकथित भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे

कृष्ण कुमार सिंह 258 शपथ आयुक्त ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3376/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	